निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 32 / 2022
दायरा दिनांक:–17.05.2022
निर्णय दिनांक:–18.11.24

उनवान

1. बुन्देल सिंह आयु 45 वर्ष आत्मज भारतसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चौकी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह आयु 50 वर्ष आत्मज भारतसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चौकी
2. हेमन्त आयु 22 वर्ष पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चौकी
3. गुड्डी बाई आयु 48 वर्ष पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चौकी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांक:– 18.11.24

अभिभाषक उपस्थित:–1. श्री भवर सिंह जादौन– प्रार्थी
2. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी कम 1 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 92 की खसरा नम्बर 189 की रकबा 1 बीघा भूमि वाके ग्राम चौकी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है, जिसमें से 16 बिस्वा. भूमि भारतीय रेल विभाग द्वारा राजकीय कार्य के लिए आवाप्त कर दी गई है, तथा मौके पर 04 बिस्वा, भूमि छबड़ा धरनावदा मेन रोड़ पर स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ विवादित स्थल का नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है. जो इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। जिसमें विवादित स्थल को लाल स्याही से ए०बी०सी०डी० बिन्दूओं से चिन्हित किया गया है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी कम 1 के मध्य प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि का पारिवारिक विभाजन हो रहा है, जिसके अनुसार अप्रार्थी के हिस्से में पूर्व दिशा की 02 बिस्वा, भूमि आयी है. जिसे नजरी नक्शे में बी०डी०जी०एच० बिन्दूओं से चिन्हित किया गया है जिस पर अप्रार्थी कम 1 ने पक्का मकान बना रखा है, पर तथा प्रार्थी के हिस्से में पश्चिम दिशा की 02 बिस्वा, भूमि आयी है, जिसे नजरी नक्शे में ए०बी०सी०डी० बिन्दूओं से चिन्हित किया गया है। पर प्रार्थी ने सीमेन्ट के खम्भे गाढकर तारफैसिंग कर रखी है। वर्तमान में अप्रार्थीगण के मन में बद्वयांति आ गई है, तथा उन्होने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर आवैधानिक गैरकानूनी तरीके से तामीर कार्य करने के लिए ईटे डालकर कब्जा करना चाहते है. जिसका कि उनको किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी के हिस्से 1/2 हिस्से पर जिसे नजरी नक्शे में ए०बी०सी०डी बिन्दूओं से दर्शाया गया है, पर गैरकानूनी व अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किये जाना सम्भव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चौकी सम्वत् 2075–78 खंख्या 92 नकल पंचनामा ग्राम वासिया पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चौकी तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। जिसमें से 16 बिस्वा भूमि रेल विभाग द्वारा अवाप्त की गई है तथा 4 बिस्वा भूमि छबडा–धरनावदा मेन रोड पर स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1के मध्य पारिवारिक विभाजन हो रहा है प्रार्थी के हिस्सा में पश्चिम दिशा एवं अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से में पूर्व दिशा की 2–2 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई। अप्रार्थी क्रम 1 ने पक्का मकान बना रख है तथा प्रार्थी ने सीमेनट के खम्भे गाढकर तार फेसिंग कर रखी है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर ईटे डाल दी गई है तथा मकान निर्माण करना चाहतें है जबकि अप्रार्थी को कोई अधिकार नही है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर निर्माण कार्य कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं बनावटी पूर्ण तथ्यों के आधार पर पेश किया है प्रार्थी का मूल उदेद्श्य अप्रार्थीगण को परेशान करने का है विवादित आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी की है उक्त भूमि का पारिवारिक विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 के मध्य लगभग 30–35 वर्ष पूर्व हो चुका था जो 10–10 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से में आई प्रार्थी की 10 विस्वा भूमि एवं अप्रार्थी क्रम 1 का 6 बिस्वा भूमि रेल्वे विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लेने के बाद 4 बिस्वा भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से एवं कब्जे काश्त की है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा पक्का मकान व शेष भूमि पर सीमेनट के खम्भे गाढ कर तार फेंसिंग कर रखी है प्रार्थी का शेष 4 बिस्वा भूमि पर कभी काश्त नही रहा 30–35 वर्षो से अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि के दो लाख रूपये स्टेशन मास्टर से प्राप्त कर लिए है प्रार्थी का कभी भी भूमि पर कब्जा काश्त नही होने से तथा प्रार्थी की भूमि रेल्वे विभाग द्वारा अधिग्रहण करने पर दो लाख रूपये प्राप्त करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चौकी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 92 के अनुसार राजेन्द्र सिंह, बुन्देल सिंह, पुत्र भारत सिंह, जाति अहीर का नाम दर्ज है। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 17 में नामान्तरण संख्या 468 दिनांक 9.01.2019 से जर्ये अवाप्ति खसरा नम्बर 189 रकबा 16 बिस्वा भूमि भारत सरकार रेलवे के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है इससे यह सावित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी में थी जिसमें से 16 बिस्वा भूमि भारत सरकार रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई। शेष भूमि 4 बिस्वा बची जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 का बराबर बराबर हिस्सा है बिना बटवारा हुए यह नही कहां जा सकता है कि प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहण कर ली गई जब तक भूमि का बटवारा नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर सभी खातेदारान का हिस्सा होता है। इसलिए शेष बची 4 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में दर्शाया हिस्से अनुसार यथास्थिति बनाऐ रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चौकी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 189 रकबा 4 बिस्वा में प्रार्थी के हिस्से पर अतिक्रमण कर कब्जा नही करे। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करे ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा